

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-2/नियुक्ति- 07/2025- 252(2) स्वा०, पटना, दिनांक- 6/2/2026

विज्ञापन संख्या-12/2025 के विरुद्ध बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों (विशेषज्ञ चिकित्सकों) को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग) मूल कोटि के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान के 11वें स्तर के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से परिवीक्षा पर पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित स्थल/संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

S.n	Application No	Candidate Name	Father's Name	Date of Birth	Selection Category	Home District	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OP0000596	PALLAVI KUMARI	ASHOK KUMAR	11-Feb-93	UR	PATNA	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
2	OP0001890	FAIZUL HAQUE	BADRUL HAQUE	7-Feb-92	UR	WEST CHAMPARAN	SDH, RAXAUL, EAST CHAMPARAN
3	OP0000863	ABHISHEK KUMAR	BRAJESH KUMAR	18-Jun-91	UR	MUZAFFARPUR	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
4	OP0000698	SUMEDHA PARASHAR	RANJAN KUMAR SINHA	8-Nov-94	UR	ROHTAS	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
5	OP0000879	RAJIV KUMAR SINGH	LALLAN SINGH	28-May-98	UR	SIWAN	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
6	OP0000502	SONIKA KUMARI	ARVIND PRASAD	15-Feb-90	UR	NALANDA	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
7	OP0003675	SUMAN SAURABH	KARI PRASAD YADAV	8-Sep-83	UR	SUPAUL	SH, MADHEPURA
8	OP0002137	MD ALI QUAISER	MD MAZHAR ALAM	2-Aug-85	UR	SAHARSA	SDH, KAHALGAON, BHAGALPUR
9	OP0001320	NISHA JHA	AJAY KUMAR JHA	10-Oct-87	UR	BANKA	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA

10	OP0000309	PRIYESH KUMAR	SURENDRA KUMAR SINGH	21-Mar-90	UR	VAISHALI	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
11	OP0000469	SITESH VATS	SHAMBHU SHARAN SINGH	22-Jul-89	UR	PATNA	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
12	OP0002207	SHANYA KUMARI GUPTA	SUBHASH CHANDRA PRASAD	31-May-93	UR	BUXAR	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
13	OP0001838	SNEHA KUMARI	MITHILESH PRASAD	24-May-90	UR	GAYA	SDH, BAGAHA 1, WEST CHAMPARAN
14	OP0002761	NAILA AFTAB	AFTAB AHMAD	10-Sep-94	EBC	PATNA	SDH, RAJGIR, NALANDA
15	OP0002144	ABHISHEK KUMAR	BAIDYNATH SAH	28-Feb-91	EBC	VAISHALI	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
16	OP0002267	UTKARSH SHARMA	DINESH KUMAR SHARMA	17-Oct-93	EBC	SAMASTIPUR	RAJENDRA NAGAR SUPER SPECIALITY EYE SCIENCE CENTRE, PATNA
17	OP0003565	AMIT KUMAR	DEEPNARAYAN YADAV	6-Nov-93	BC	PURNIA	SH, KATI HAR
18	OP0000675	NEHA KUMARI	DHURVE PRASAD	5-Mar-88	EBC	EAST CHAMPARAN	SDH, MAHUA, VAISHALI
19	OP0001533	PREETI YADAV	SUBHASH CHANDRA JOSH	2-Jan-92	BC	PATNA	SH, AURANGABAD
20	OP0002668	RUHI RAINA	SURENDRA BHAGAT	18-Nov-93	BC	MUZAFFARPUR	SH, NAWADA
21	OP0001863	NEHA KUMARI	SANJEEV KUMAR SINGH	25-Aug-94	EWS	SAMASTIPUR	SH, ROHTAS
22	OP0002403	ABHISHEK KUMAR	ANIL KUMAR YADAV	25-Jan-94	BC	KATI HAR	SDH, BANMANKHI, PURNEA
23	OP0002879	SANJEET KUMAR RAI	ASHOK KUMAR RAI	24-Mar-94	BC	PATNA	SDH, ROSERA, SAMASTIPUR
24	OP0002170	PRAKASH KUMAR KESHAV	PAPPU KUMAR KESHAV	20-Dec-91	EBC	PATNA	SDH, DEHRI, ROHTAS
25	OP0002348	SUJATA KUMARI	SURYA NARAIN	28-Oct-89	SC	SARAN	SH, SIWAN
26	OP0000922	PRIYANKA SHARMA	ASHOK KUMAR	1-Jul-88	EBC	NALANDA	SDH, RAJALI, NAWADA
27	OP0001766	KUNDAN KUMAR SINGH	ASHOK SINGH	15-Jul-87	EWS	SUPAUL	SDH, UDAKISHUNGANJ, MADHEPURA
28	OP0002641	AMAR KUMAR	GANGA RAM PANDIT	25-Feb-92	EBC	BEGUSARAI	SH, KHAGARIA

252127
6/2/26

29	OP0001718	PRIYA RANJAN	KAMLESH SHARMA	15-Jan-90	EWS	JEHANABAD	SH, BEGUSARAI
30	OP0002680	SAKET BIHARI CHOUDHARY	BRAMADEO CHOUDHARY	5-Mar-85	EWS	DARBHANGA	SH, SITAMARHI
31	OP0002697	SURBHI SHALINI	SUSHIL KUMAR	26-Jan-96	SC	PATNA	SH, GAYA (JAI PRAKASH NARAYAN HOSP.)
32	OP0000913	SWATI KUMARI	ASHOK KUMAR	5-Feb-94	SC	BHOJPUR	SH, KISHANGANJ
33	OP0000242	GAUTAM RAM	RUDAL RAM	7-May-82	SC	SIWAN	SDH, CHAKIA, EAST CHAMPARAN
34	OP0000994	SHIKHA SHALINI SHIKHA SHALINI	NARESH MOHAN DAS	10-Oct-90	SC	BHAGALPUR	SDH, BIRAU, DARBHANGA
35	OP0001197	SONAM PRABHA	CHITRANJAN RAM	30-Mar-95	SC	GAYA	SDH, DAUDNAGAR, AURANGABAD
36	OP0000145	RAMESH CHANDRA KUMAR	BALRAM MANJHI	22-Jan-88	SC	GOPALGANJ	SDH, MAHARAJGANJ, SIWAN

2. यह नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के सम्बन्ध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. योगदान के समय नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-3454, दिनांक-28.02.2024 के आलोक में नियमानुसार नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-7832(2) दिनांक-22.11.1995 के अनुसार नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा पैंतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

252(2) *
6/2/26

8. उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित पदस्थापन स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर योगदान समर्पित किया जाना अनिवार्य है।

9. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण-पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. उक्त सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन किया जायेगा एवं सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लिया जायेगा।

11. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

12. जिन नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग/विभाग द्वारा आयोजित Counselling के समय यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आवासीय/जाति प्रमाण-पत्र अथवा कोई अन्य वांछित प्रमाण-पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया गया हो, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।

13. सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सभी प्रमाण-पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

14. उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी में से यदि कोई पूर्व से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वे नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर उसी दिन उच्चतर अध्ययन पूर्ण करने हेतु विरमित हो जायेंगे। उच्चतर अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।

15. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर पदस्थापित/कार्यरत हैं तो वे भी नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर बचे हुए टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु उसी दिन विरमित भी हो जाएंगे। बचे हुए टेन्योर अवधि में वे बिहार स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माने जाएंगे तथा उक्त अवधि में उन्हें पूर्व से प्राप्त हो रहे मानदेय/वेतन के स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सा

25/2/21
6/2/26

पदाधिकारी के लिए निर्धारित वेतनमान (11वाँ स्तर) प्राप्त होगा। उक्त हेतु संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को आवेदन दिया जाएगा। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।

16. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई टेन्योर अवधि पूर्ण किये बिना ही नियमित सेवा में आना चाहते हैं, तो वे टेन्योर पद पर पदस्थापित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

17. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई विभागीय संकल्प संख्या-450(1), दिनांक-15.04.2017 एवं 1092(17), दिनांक-04.10.2025 के प्रावधानानुसार बंध-पत्र के अधीन अनिवार्य सेवा दिए जाने हेतु राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं तो वे भी अपने पूर्व आवंटित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान दे सकते हैं। बंधपत्र से आच्छादित अभ्यर्थियों को सेवा में योगदान की तिथि से बंधपत्र के अधीन शेष सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा। वे बंधपत्र की अवधि में त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं।

18. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नियमित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत/पदस्थापित है तो वे पूर्व पदस्थापित स्थान से विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान देंगे।

19. उक्त सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा, संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करेंगे।

20. उक्त पदस्थापन के क्रम में अक्रियाशील संस्थान में अथवा अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को विभाग में योगदान करने हेतु विरमित किया जाएगा।

21. इस अधिसूचना में किसी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि आदि में टंकण त्रुटि की स्थिति में अपेक्षित संशोधन हेतु विभागाध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना प्राधिकृत हैं।

22. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

252(2)
6/2/26

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Wahman K. S. S. S.
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/नियुक्ति- 07/2026- 2523/स्वा०, पटना, दिनांक- 6 / 2 / 2026

- प्रतिलिपि :-** महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी /सभी उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट- state.bihar.gov.in/health पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।
- प्रतिलिपि :-** श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Mamun Hata
सरकार के उप सचिव।